न्यायालय भूमि उप समाहर्ता ,बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या – 18/11–12

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46

आदेश

विक्रेता का नाम एवं पता – राम चन्द्र मुण्डा ,पिता–स्व० धन सिंह मुण्डा
ग्राम–आगरा ,पो०–अमलेशा थाना–तमाड़ ,राँची।

क्रेता का नाम एवं पता – लखीमनी देवी ,पति–सुमन्तो उराँव
ग्राम– डोड़ेया ,थाना–तमाड़ ,राँची।

विद्वान अधिवक्ता का नाम – श्री शिशंकर महतो

विक्रेता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 03/06/2010 को क्रेता लखीमनी देवी के हाथो निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी हैं ।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
आगरा	तमाड़	229	106	841	1.15 एकड़ मध्ये 0.22 एकड़

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी ,तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया ।

अंचल अधिकारी ,तमाड़ के पत्रांक–453(ii) दिनांक–09/7/11 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हैं। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि:–

(क) प्रस्तावित भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयत का नाम रामदास साहु है। पंजी ii के अनुसार रैयत का नाम धनसिंह मुण्डा है ,जो आवेदक के पिता है।

(ख) उपरोक्त भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 2.92 एकड़ भूमि बच जाती हैं।

(ग) प्रस्तावित आदिवासी जमीन की प्रचलित दर–1000/–रूपये प्रति डीसमील है।

(घ) आवेदक को ईलाज के लिए एवं पुराना ऋण चुकता करने के लिए वह–1000/–(एक हजार) रूपये प्रति डीसमील की दर से कुल 22,000/–(बाईस हजार)रूपये में बिक्री करना चाहते हैं।

(ड.) दोनो क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं, एवं एक ही थाना तमाड़ के निवासी हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी ,तमाड़ ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत विक्रेता राम चन्द्र मुण्डा ,पिता–स्व० धन सिंह मुण्डा को क्रेता लखीमनी देवी ,पति–सुमन्तो उराँव के हाथो प्रस्तावित भूमि के विक्रय करने की अनुमति देने की अनुशंसा की हैं।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–03/06/11 को निर्गत आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हैं। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की हैं।

पुनः दिनांक–22/07/11 को विक्रेता एवं क्रेता का बयान न्यायालय में दर्ज किया गया। दिए गए बयान से भी जाँच प्रतिवेदन की पुष्टि होती हैं।

अतः अंचल अधिकारी ,तमाड़ की अनुशंसा एवं विक्रेता के बयान के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता राम चन्द्र मुण्डा ,पिता–स्व० धन सिंह मुण्डा के द्वारा क्रेता लखीमनी देवी ,पति–सुमन्तो उराँव के हाथो बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत दी जाती हैं। आदेश दिया जाता हैं कि प्रस्वावित भूमि सरकार द्वारा निर्धारित दर पर निम्नलिखित भूमि की बिक्री करें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
आगरा	तमाड़	229	106	841	1.15 एकड़ मध्ये 0.22 एकड़

लेखापति एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू रॉंची ।

26/7/11

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू रॉंची ।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.07.27 13:56:32 +05:30
Location: 192.168.59.216